अपील संख्या 2018/00017 बउनवानी श्रीमती संतोष देवी बनाम रूपनारायण वगैरह, आदेश दिनांक 24.10.2018

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 उपस्थित । अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मान्नीय उच्च न्यायालय 11.09.2018 के आदेश की प्रति प्रस्तुत कर कथन किया कि मान्नीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,दूदू को प्रतिप्रेषित कर वाद का 3 माह में निस्तारण करने के आदेश दिये है तथा विवादित आराजी को बेंचान नहीं करने हेतु पक्षकारान को पाबंद किया गया हैं। मान्नीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश से प्रस्तुत अपील सारहीन हो चुकी है। इसलिए खारिज की जावें।

अभिभाषक अपीलांट ने जवाब में कथन किया कि मान्नीय उच्च न्यायालय ने जब वाद को तीन माह में निस्तारण के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को दिये हैं एवं विवादित आराजी को बेंचान नहीं करने हेतु पांबद किया है तो अपील सारहीन हो चुकी हैं इसलिए खारिज की जावें।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।